संख्या-16/2017/319/सैंतीस-2-2017-1(33)/13टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-30 मार्च, 2017

विषयः- **पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चंगेरवां, जनपद बस्ती की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-451/सा0-1/एक्स-84/प.वि.प्र.के.-चगेरवां/2013-14, दि0-06.03.2017 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-92/2016/2045/सैंतीस-2-2016-1(33)/13टीसी, दिनांक-05.09.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकास प्रशिक्षण केन्द्र चंगेरवां, जनपद बस्ती की स्थापना योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से परियोजना की पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0-818.51 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-166.63 लाख (रूपये एक करोड़ छाछठ लाख तिरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं निर्धारित गाइडलाईन्स के अनुसार करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) पूर्व में दिनांक-18.01.2017 को जिस समिति द्वारा परियोजनान्तर्गत हुये कार्यों की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता का स्थलीय सत्यापन किया गया था, उसी समिति द्वारा पुनः मौके का स्थलीय सत्यापन दो सप्ताह में करते हुए आख्या उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक तथा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

(5) प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, वस्तुतः जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य मद/प्रयोजन में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(11) प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत में 01 प्रतिशत लेबर सेस उपकर की धनराशि श्रम विभाग को वास्तविक रूप में भुगतान की जायेगी।

(12) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(13) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-12-पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां, जनपद बस्ती की स्थापना (रा.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-16/2017/319(1)/सैंतीस-2-2017- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बस्ती।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
6. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
7. श्रम अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in